



# डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/मा०वि०प०/ 30 / 2019

दिनांक 30 मई, 2019

सेवा में,

प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,  
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,  
अयोध्या।

विषय: वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।


महोदय,

अवगत कराना है कि शासन की मंशा के अनुरूप 'वृहद वृक्षारोपण अभियान' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के परिसरों में दिनांक 15 जून, 2019 से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। यह अभियान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के समन्वय से सम्पन्न किया जाना है, जिसमें वन विभाग का भी सहयोग प्राप्त है।

उक्त अभियान में आपके महाविद्यालय द्वारा निम्नांकित में से किसी एक प्रकार से प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:-

1. महाविद्यालय द्वारा ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र दिनांक 10 जून, 2019 से पूर्व विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय, जिसमें वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंकित किया जाए कि महाविद्यालय अपने परिसर में वृक्षारोपण कराने की स्पष्ट सहमति प्रदान कर रहा है। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय की अनुशंसा के उपरान्त वन विभाग द्वारा महाविद्यालय को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त यदि महाविद्यालय स्वयं के स्तर से निर्धारित अवधि में अपने परिसर में वृक्षारोपण संचालित करना चाहे तो अपने संसाधनों से वृक्षारोपण सम्पन्न कराते हुए विश्वविद्यालय को दिनांक 15 अगस्त 2019 से पूर्व सप्रमाण यह सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा कितने क्षेत्रफल में कितने पौधे रोपित किये गये हैं।

पर्यावरण संरक्षण व राष्ट्रहित से जुड़े उपरोक्त अभियान में आपका सार्थक सहयोग अपेक्षित है।

भवदीय  
  
निदेशक  
महाविद्यालय विकास परिषद

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. कुलानुशासक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- ✓ 3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाइट व महाविद्यालयों की लागिन पर अपलोड करें।
4. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत सहायक कुलसचिव, कुलसचिव के सूचनार्थ।

निदेशक  
महाविद्यालय विकास परिषद